

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल 2-03/2011

पटना, दिनांक :-

डा० बीरेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सम्प्रति प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के दिनांक-28.09.1996 से 25.09.1998 तक की अध्ययन अवकाश अवधि जो विभागीय आदेश संख्या-472(17) दिनांक-15.07.2022 द्वारा असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित की गई है, को वित्त विभागीय पत्राक-9154 (वि-6) दिनांक-20.11.2003 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि के पक्ष में इस शर्त के साथ परिगणित किया जाता है की डा० सिन्हा द्वारा अध्ययन अवकाश के उपरान्त प्राप्त डिग्री/विशेषज्ञता के आधार पर पूर्व में कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

2 उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

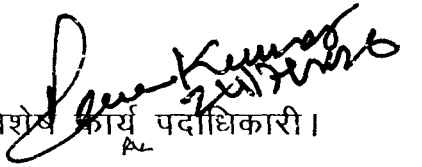
ज्ञापांक-17/ एल 2-03/2011-903(17) पटना, दिनांक :- 24.07.26

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० बीरेन्द्र कुमार सिन्हा, प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।